भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2802
दिनांक 18 मार्च, 2025 / 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पत्तनों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी

†2802. श्री राहुल गांधीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान पत्तनों पर मादक पदार्थों की जब्ती में वृद्धि हुई हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों पर जब्त की गई मादक दवाओं की मात्रा और मुल्य पत्तनवार कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा पत्तन सुरक्षा को मजबूत करने और पत्तनों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान बंदरगाहों पर मादक पदार्थों की जब्ती के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की संख्या
1	2020	01
2	2021	04
3	2022	10
4	2023	01
5	2024	03

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2802, दिनांक 18.03.2025

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर जब्त की गई मादक पदार्थों की बंदरगाह-वार मात्रा और उनके मूल्य का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): प्रमुख बंदरगाहों पर जब्ती, मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के क्षेत्र में उठाए गए प्रभावी उपायों का परिणाम है और राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और भारतीय सुरक्षा बलों जैसे भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के बीच सफल समन्वय को दर्शाती है। सरकार ने बंदरगाहों की सुरक्षा को मजबूत करने और इनके माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) भारत में मादक पदार्थों को अवैध रूप से लाने ले जाने को रोकने के लिए देशभर में कस्टम्स, डीआरआई, एनसीबी, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल आदि सहित कई अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा बंदरगाहों और जलमार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) द्वारा दिनांक 15.11.2021 को, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एनएमएससी) के तहत बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (एमएएमएसजी) का गठन किया गया है। एमएएमएसजी के तहत दो उप-समूह अर्थात एमएसजी (नीति) और एमएसजी (आईएनटी) बनाए गए हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) एमएसजी-आईएनटी के स्थायी सदस्य के रूप में अपने इनपुट प्रदान करता है।

(iii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त अभियान चलाने के लिए नौसेना, तटरक्षक और समुद्री पुलिस जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) ने सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत के समुद्री क्षेत्रों में तस्करी-रोधी अभियान चलाने के लिए समुद्री सुरक्षा समन्वय पर एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इस एसओपी का उद्देश्य स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) और संवेदनशील कार्गो सहित प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में तस्करी-रोधी अभियान चलाने की योजना बनाने में अंतर-एजेंसी, अंतर-विभागीय और अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बढ़ाना है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2802, दिनांक 18.03.2025

(v) बंदरगाह के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोड़े जाने से पहले कंटेनरों सहित सभी वस्तुओं का उचित तरीके से निरीक्षण किया जाए और उन्हें अनापत्ति प्रदान की जाए।

(vi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और बंदरगाह अधिकारियों को मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए तटरक्षक बल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई है।

(viii) नार्को-आतंकवाद के मामलों सहित महत्वपूर्ण और प्रमुख मादक पदार्थ संबंधी मामलों की जांच की निगरानी के लिए एनसीबी के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है। अब तक, केंद्रीय स्तर पर 09 जेसीसी और राज्य स्तर पर 08 जेसीसी बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ix) स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) तथा रसायनिक उत्प्रेरकों को लाने ले जाने पर नियंत्रण के उद्देश्य से सूचना के आदान-प्रदान और जांच सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2802, दिनांक 18.03.2025
अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर जब्त की गई मादक पदार्थों की मात्रा और उनका मूल्य

क्र.सं.	बंदरगाह (पोर्ट) का नाम	एजेंसी	जब्ती की तारीख	मादक पदार्थ	मात्रा (किग्रा. में)	मूल्य (रुपये में)
1	जेएनपीटी, मुंबई, महाराष्ट्र	डीआरआई	08-08-2020	हेरोइन	191	382 करोड़
2	वीओसी पोर्ट, तूतीकोरिन, तमिलनाडु	डीआरआई	20-04-2021	कोकीन	303	1,515 करोड़
3	जेएनपीटी, मुंबई, महाराष्ट्र	डीआरआई	01-07-2021	हेरोइन	294	588 करोड़
4	अडानी पोर्ट, एसईजेड, मुंद्रा, गुजरात	डीआरआई	19-09-2021	हेरोइन	2988	5,976 करोड़
5	जेएनपीटी, मुंबई, महाराष्ट्र	डीआरआई	05-10-2021	हेरोइन	25	50 करोड़
6	सीएफएस गांधीधाम, गुजरात	डीआरआई/गुजरात एटीएस	28-04-2022	हेरोइन	201	402 करोड़
7	पीपावाव पोर्ट, गुजरात	डीआरआई	29-04-2022	हेरोइन	90	180 करोड़
8	सीएफएस, रायगढ़, महाराष्ट्र	डीआरआई	30-04-2022	हेरोइन	29	58 करोड़
9	अडानी पोर्ट, एसईजेड, मुंद्रा, गुजरात	डीआरआई	26-05-2022	कोकीन	52	260 करोड़
10	अडानी पोर्ट, एसईजेड, मुंद्रा, गुजरात	गुजरात एटीएस/सीमा शुल्क	11-07-2022	हेरोइन	75	150 करोड़
11	जेएनपीटी, मुंबई, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पुलिस	15-07-2022	हेरोइन	73	146 करोड़
12	जेएनपीटी, मुंबई, महाराष्ट्र	दिल्ली पुलिस	04-09-2022	हेरोइन	345	690 करोड़
13	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	डीआरआई/गुजरात एटीएस	10-09-2022	हेरोइन	39	78 करोड़
14	जेएनपीटी, मुंबई, महाराष्ट्र	डीआरआई	01-10-2022	मेथैम्फेटामाइन	198	159 करोड़
				कोकीन	9	45 करोड़
15	जेएनपीटी, मुंबई, महाराष्ट्र	डीआरआई	07-10-2022	कोकीन	50	250 करोड़
16	एवी जोशी सीएफएस, गांधीधाम, गुजरात	डीआरआई	08-08-2023	कोकीन	1	05 करोड़
17	सीएफएस, मुंद्रा, गुजरात	सीमा शुल्क	28-07-2024	ट्रामाडोल टैबलेट	68,78,000 (संख्या में)	275 करोड़
18	सीएफएस, मुंद्रा, गुजरात	सीमा शुल्क	13-09-2024	ट्रामाडोल टैबलेट	25,41,000 (संख्या में)	102 करोड़
19	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सीमा शुल्क	28-10-2024	ट्रामाडोल इंजेक्शन	1000 (संख्या में)	0.0165 करोड़

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

******